

109

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प उज्जैन म.प्र.

पुनरीक्षण क्रमांक

/2015

17210 2778 - III / 15

कृष्ण कान्हेर
18/08/15

अभिधा

कलित छोरोड

14-8-15

14-8-15

- 1- ओमप्रकाश पिता श्री कन्हैयालाल, आयु 60 वर्ष,
- 2- आनन्दीलाल पिता श्री कन्हैयालाल, आयु 50 वर्ष,
- 3- रामस्वरूप पिता श्री कन्हैयालाल, आयु 45 वर्ष,
कृषक व निवासी ग्राम झोकर, तहसील व जिला शाजापुर म.प्र.

..... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1- प्रयास पिता सुभाषचन्द्र, आयु 23 वर्ष,
- 2- श्रीमती छमाबाई पति सुभाषचन्द्र, आयु 46 वर्ष,
निवासीगण- ग्राम झोकर, तहसील व जिला शाजापुर म.प्र.

..... विपक्षीगण/ आवेदक

533
14/8/15

निगरानी धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

अधिनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय, उप तहसील मक्सी, तहसील व जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 70-अ-12/ 2014-15 के आदेश अनुसार दिनांक 06.06.2015 को निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में किये गये सीमांकन के विरुद्ध जानकारी एवं नकल प्राप्ति से निर्धारित समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि :-


1. यह कि, ग्राम झोकर तहसील व जिला शाजापुर के निगरानी प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2778-तीन/15

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०९-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बराड़े उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	